

ऑनलाईन में प्रविष्ट त्रुटीपूर्ण जमाबन्दी में त्रुटीयों का निराकरण हेतु राजस्व उप-निरीक्षक का प्रतिवेदन।

Case No - 07/19-20

हल्का न० - IX

01. आवेदित भूमि खतियान के अनुसार रैयती भूमि है तो रैयत का पूर्ण विवरण	मौजा - सुमुखा डीह खाना नुं- 203 डीह नरना व सोना मरना के रैयतिया खाना खाल रकवा 103/09/11/IB
02. खतियान में दर्ज सभी प्लॉटों की संख्या एवं उसकी कुल रकवा	मेलबल सर्वे खतियान उपलब्ध नहीं है
03. ऑनलाईन खतियान इन्ट्री के अनुसार कुल प्लॉटों एवं कुल रकवा का ब्यौरा	ऑनलाईन खतियान की इन्ट्री नहीं है
04. क्या आवेदित भूमि आवेदक के नाम से है या किसी अन्य के नाम से है ?	आवेदित भूमि आवेदक के नाम से नहीं है
05. यदि आवेदक के नाम से भूमि नहीं है तब आवेदित भूमि किस रैयत से प्राप्त है। तथा आवेदक के बीच क्या संबंध है?	आवेदित भूमि जमाबंदी पूजा डीह नरना व सोना मरना के खाना खाल 20 डीह खाल तथा जमाबंदी पूजा डीह नरना व सोना मरना के बीच है
06. आवेदित भूमि का ऑफलाईन पंजी II में जमाबन्दी कब से एवं किस सक्षम पदाधिकारी के आदेश से कायम है?	ऑनलाईन भूमि का पंजी II का 273/1988-89 के तहत खतियान पदाधिकारी के आदेश से कायम की गई है
07. आवेदित भूमि का लगान रसीद कब - कब निर्गत हुआ है?	लगान रसीद वर्ष 1988-89 का निर्गत है
08. ऑनलाईन पंजी II में आवेदित भूमि की स्थिति क्या है?	ऑनलाईन भूमि की इन्ट्री ऑनलाइन में नहीं है
09. ऑनलाईन पंजी II में आवेदित भूमि के खाता का कुल रकवा कितना है?	ऑनलाइन में इन्ट्री नहीं है
10. आवेदित भूमि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये भू-दस्तावेज में वर्णित रैयत को भूमि किस आधार पर प्राप्त है?	खतियान की इन्ट्री मालीक मरना के नाम से रजिस्ट्री के तहत 19/06/1981 द्वारा प्राप्त है
11. यदि आवेदन में कई खाता सामिल हो तो वैसी स्थिति में खाता वार उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के आधार पर प्रतिवेदन।	ऑनलाईन भूमि पर आवेदक द्वारा पूर्वक इन्ट्री का र है

पंजी II में भूमि तथा भूखंड संख्या है? 12.3.2020

मौजा - सुमुखा डीह खाना नुं- 203
ऑनलाईन भूमि की जमाबन्दी पंजी II में कायम है 11 मौजा IB में कायम है

राजस्व उप-निरीक्षक
M.N.IX

सेवा में

कार्यालय अंचल अधिकारी, देवरी

केस संख्या :-

09/19-20

केस का प्रकार :- ऑनलाईन विविध वाद

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

4-6-19

सुखदेव महतो ग्राम समुआडीह के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर खाता न० 06.11 प्लॉट न० 103.87 एवं अन्य का प्लॉट ऑनलाईन कर प्लॉट दर्ज करने एवं रैयत का नाम अंकित करने का अनुरोध किया गया है। आवेदन कर्ता से मूल कागजात की मांग करें, साथ ही राजस्व कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 13-6-19 को उपस्थापित करें।



अंचल अधिकारी,
देवरी।

13-6-2019


श्रीमते लक्ष्मी देवी द्वारा किया गया वाद
प्रतिपाद्य है। कृपया कार्य में व्यवस्था
श्रीमते लक्ष्मी देवी के विनांक 18/6/19 को लक्ष्मी
श्री. 0. 20

18/6/19

श्रीमते लक्ष्मी देवी द्वारा किया गया वाद
प्रतिपाद्य है। श्री. 0. 20

11-11-2019

श्रीमते लक्ष्मी देवी द्वारा किया गया प्रथम
पक्ष अनुप्रतिपाद्य है। श्रीमते लक्ष्मी देवी के विनांक
11-11-2019 को उपस्थापित करें।
श्री. 0. 20



श्रीमते लक्ष्मी देवी द्वारा किया गया आवेदन
प्रतिपाद्य है। कृपया कार्य में व्यवस्था

कार्यालय अंचल अधिकारी, देवरी।

नोटिश

प्रेषित, श्री. सुरदेव मठो
शा. नं. ५३ आडीह
ग्राम. देवरी

आपके द्वारा नाम/खाता न०/प्लॉट न०/रकवा/पंजी ॥/रसीद अघतीकरण/सुधार से संबंधित आवेदन प्राप्त है। संबंधित मूल राजस्व कागजात जैसे खतियान/केवाला/पुराना रसीद। बन्दोवस्ती की स्थिति में-बन्दोवस्ती से संबंधित राजस्व कागजात

1. जमीन्दारी बन्दोवस्ती कागजात- हुक्मनामा, रिटर्न, पुराना रसीद।
2. सरकारी बन्दोवस्ती पर्चा पुराना रसीद।
3. भुदान पर्चा, संपुष्टि पेपर, पुराना रसीद।
4. वासगीत पर्चा, पुराना रसीद।

लेकर दिनांक 12-6-19 को अंचल कार्यालय देवरी में सभी मूल राजस्व कागजातों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

जमीन का विवरण

क्र० सं०	मौजा	खाता न०	प्लॉट न०	रकवा	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	समुआडीह	06	103	0.09डी०	
2	समुआडीह	11	87	0.08डी०	

12-6-19
अंचल अधिकारी,
देवरी